समाहरणालय गोपालगंज
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक 3756 दिनांक 10.11.2011 के अनुसार माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम से प्राप्त अनुशंसा क्रमांक 06/13 दिनांक 07.01.2013 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 16 दिनांक 09.01.2013 के द्वारा प्राक्कलन की मांग की गयी थी। प्राप्त प्राक्कलन पर माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम के क्रमांक 68/13 दिनांक 11.04.2013 के द्वारा सहमति प्राप्त है। तदनुसार कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा योजना पर मो0 **862000.00 (आठ लाख बासठ हजार)** राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। उनके द्वारा प्रदत योजना की तकनिकी स्वीकृति की राशि मो0 **862000.00 (आठ लाख बासठ हजार)** की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को कार्य एजेन्सी नामित किया जाता है। योजना के कार्यान्वियन हेतु प्रथम किस्त के रूप में मो0 **646500.00 (छः लाख छियालीस हजार पॉच सौ)** रू0 मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि/ तकनीकी स्वीकृती की राशि	प्रदत प्रशासनिक स्वीकृती की राशि	प्रथम किस्त में अग्रीम राशि	योजना पूर्ण होने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
1	प्रखंड भोरे में प्रयाग उ0वि0 बरई बगहवा में बरामदा सहित दो कमरा का निर्माण कार्य।	862000.00	862000.00	646500.00	3 तीन माह
		862000.00	862000.00	646500.00	

नाजीर जिला योजना कार्यालय गोपालगंज को आदेश दिया जाता है कि योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त राशि मो0 **646500.00 (छः लाख छियालीस हजार पॉच सौ)** रू0 मात्र का चेक माननीय सांसद पूर्णमासी राम के अंश निधि से तैयार कर कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता एल0ए0ई0ओ0, गोपालगंज को उचित रीति एवं पहचान पर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता एल0ए0ई0ओ0, गोपालगंज को निदेश है कि इस आदेश से विमुक्त राशि **646500.00 (छः लाख छियालीस हजार पॉच सौ)** रू0 मात्र से योजना का कार्यान्वयन विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में निविदा के माध्यम से निम्नांकित शर्तो के अधीन कार्यान्यवित कराना सुनिश्चित करेगें।

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि स्थल विवादग्रस्त नही है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पडती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूद्ध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।

2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3756 दिनांक 10.11.2011 के कंडिका 7 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं को लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुररीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 50 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात् मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।
5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।

6. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
8. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो/विडियो ग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो तो भू–दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह की 2 री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेगें।

ह0/–

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 227 / दिनांक 12-4-13

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मनेजर एन0आई0सी0 गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

13/4/13

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।